(ग) से (ङ) जी, हां। भारत सरकार द्वारा हथकरघा बुनकरों को राहत देने के संबंध में किये गये उपायों का विवरण इस प्रकार है:—

1. हैंक यार्न बाध्यता योजना में यह आवश्यक है कि सूत उत्पादक को अपने विक्रय सूत का कम से कम 50 प्रतिशत तक हैंक के रूप में पैक करना होगा और ऐसे पैक किये गये सूत का कम से कम 80 प्रतिशत 40 और उससे कम काऊंट का धागा होना चाहिये। भारत सरकार ने 14 जुलाई, 1994 को एक अनुबंध और लगा दिया जिससे निर्यातक अपना सूत तब ही निर्यात कर पायेंगे जब वे वस्त्र आयुक्त द्वारा निर्धारित हैंक यार्न बाध्यता योजना की सभी शर्तें पूरी करते हों।

2. अप्रैल, 1994 में 15 रुपये प्रति किलोग्राम की सब्सिडी देने के साथ 20 मिलियन किलोग्राम हैंक यार्न की आपूर्ति के लिये हैंक यार्न मूल्य सब्सिडी योजना आरंभ की गई।

3. भारतीय कपास मिल संघ के साथ 10 मिलियन किलोग्राम हैंक यार्न जनवरी, 1994 में प्रचलित मूल्यों से 8 रुपये प्रति किलोग्राम (औसत भार में) कम करके सप्लाई करने की व्यवस्था भी की गई है।

4. राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम जिसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य हथकरघा क्षेत्र में उचित मूल्यों पर सूत की आपूर्ति की व्यवस्था करना है, ने भी वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान अपने कार्यकलापों के स्तर में वृद्धि की है।

5. हैंक यार्न के मूल्यों और साथ ही इसकी उपलब्धता की स्थिति की निरन्तर देख-रेख करने के लिये वस्त्र आयुक्त की अध्यक्षता में हैंक यार्न मूल्य देख-रेख समिति भी कार्य कर रही है। हथकरघा बुनकरों के लिये राज्य सहकारी क्षेत्र की कताई मिलों द्वारा उत्पादित सूत के मूल्यों में विनियमन रखने हेतु भारत सरकार के अनुरोध पर कई राज्यों में मूल्य निर्धारण समितियां गठित की गई हैं।

6. हथकरघा क्षेत्र मूल्य ह्रास दूर करने और हथकरघों की प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने हथकरघा क्षेत्र में प्रयोग होने वाले निवेश के लिये कई वित्तीय रियायतें दी हैं जिसमें पंजीकृत हथकरघा सहकारी समितियों और राज्य हथकरघा विकास निगमों से खरीद करने पर सूती प्लेन रील हैंक यार्न, पटसन, ऊनी, कृत्रिम, स्टैपल फाइबर पर उत्पाद शुल्क में पूर्ण छूट और क्रोस रील हैंक यार्न, पालिस्टर मिश्रित यार्न, विसकोस और प्रोपीलीन पर उत्पाद शुल्क में रियायत देना शामिल है।

सुसमन कपड़े के उत्पादन में प्रयोग होने वाले पालिस्टर फिलामेंट यार्न पर रियायती दर पर शुल्क देने के अतिरिक्त राज्य हथकरघा अभिकरणों द्वारा स्थापित प्रोसेस गृहों द्वारा सूती, ऊनी, पोलिस्टर वस्त्रों के प्रोसेस किये जाने पर प्रोसेस शुल्क में पूर्ण छूट तथा पंजीकृत हथकरघा अभिकरण द्वारा भारत में कच्ची ऊन आयात करने पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट दी जाती है। इससे मूल्य ह्रास कम करने में भी सहयोग मिलता है।

7. कपास की उपलब्धता को और सुलभ करने के लिये रियायती शुल्क पर 30 हजार मैट्रिक टन विसकोस स्टैपल फाइबर आयात करने के लिये कदम उठाये गये।

8. ओ०पी०एल० के अन्तर्गत शुल्क मुक्त सूती धागे का आयात।

Pilot Telecom licence to US firms

*17. SHRIMATI SARALA MAHESHWARI:

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE:

Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether Government have taken a decision to award a pilot telecom licence to a US firm despite its earlier

decision to award the same project to an Indian firm;

(b) if so, what are the reasons for reviewing the earlier decision; and

(c) whether the later decision is more beneficial for the country?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI SUKH RAM): (a) No, Sir. However, a letter of intent has been given to an Indian company which has a participation from a US firm, for a pilot project in four secondary switching areas of Tamil Nadu.

(b) and (c) Does not arise in view of (a) above.

Modernisation of ACC Babcock

*18. DR. BAPU KALDATE:
SHRIMATI KAMLA SINGH:

Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Asea Brown Ltd. (ABB) proposes to make the country its export base for power plants by modernising ACC Babcock acquired by it from the BIFR;

(b) whether any formal request has been received by Government from ABB in this regard;

(c) if so, what is the decision taken by Government; and

(d) what are the implications involved in relation to the development of indigenous power equipment?

THE MINISTER OF POWER (SHRI N. K. P. SALVE): (a) to (c) The rehabilitation package of ACC Babcock Limited (ABL) based on the offer of investment of Asea Brown Boveri (ABB) which has been prepared by the Industrial development Bank of India (IDBI) envisages sales and services to utilities of Central and State Governments and Independent Power Producers and also as providing suitable opportunities for sourcing of components by ABB from ABL, resulting in exports. The proposal forwarded by IDBI, after some modification, is being supported by the Government of India and the matter is fixed for final hearing before BIFR on 1.3.1995.

(d) The Investment decision of ABB would assist the development of indigenous power equipment through the rehabilitation of ABL.

कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर केन्द्रों का कार्यकरण

*19. श्री आस मोहम्मद :
चौधरी हरमोहन सिंह :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कम शक्ति वाले अधिकांश ट्रांसमीटर केन्द्र संतोषजनक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इन केन्द्रों में अधिकांश उपकरण खराब पाये गये हैं ;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इन उपकरणों में खामियों को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये हैं ;

(ङ) क्या सरकार उच्च शक्ति वाले टी.वी. ट्रांसमीटर लगाने का विचार रखती है ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।